फाईल सं0 17-4/2008- आईटी

बोली दस्तावेज

दूरसंचार विभाग के दिल्ली स्थित मुख्यालय के लिए यूपीएस प्रणालियों हेतु वापस खरीद (बीबी) योजना के अंतर्गत 500 एसएमएफ बैटरियों की आपूर्ति हेतु सीमित निविदा

निविदा सं0 17-4/2008-आईटी
(जुलाई, 2008)

भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
संचार भवन, 20 अशोक रोड
नई दिल्ली- 110001

[httpp://www.dot.gov.in देखें **]**
(अहस्तांतरणीय)

मूल्य 1000/-रु0 मात्र

विषय-सूची

भाग	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
भाग-I	निविदा आमंत्रण नोटिस	
भाग-II	बोलीदाताओं के लिए निर्देश	
भाग-III	संविदा की सामान्य शर्तें	
भाग-IV	आवश्यकताओं की अनुसूची	
भाग-V	आपूर्ति की जाने वाली मदों की सूची	
अनुबंध I	संविदा प्रपत्र	
अनुबंध II	बोली प्रपत्र	
अनुबंध III	निष्पादन प्रतिभूति बंध-पत्र	
अनुबंध IV	बोली खोले जाने के समय उपस्थित होने के लिए प्राधिकार -पत्र	
अनुबंध V	मूल्य अनुसूची	
अनुबंध VI	जमा कराए जाने वाले दस्तावेजों की जांच सूची (तकनीकी)	
अनुबंध VII	जमा कराए जाने वाले दस्तावेजों की जांच सूची (वित्तीय)	

भाग-।
दूरसंचार विभाग
संचार भवन, 20, अशोक रोड, दिल्ली- 110 001
सं0 17-4/2008- आईटी दिनांक 16.07.2008

निविदा आमंत्रण नोटिस

जारी करने का कार्यालय :	दूरसंचार विभाग आईटी प्रकोष्ठ, संचार भवन, नई दिल्ली- 110001
बोली दस्तावेज जारी करने की तारीख	: 16.07.2008
निविदा सं0	: 17-4/2008-आईटी
जिस अधिकारी के पास निविदा प्रपत्र उपलब्ध हैं	: सहायक निदेशक (आईटी-।।।) कमरा सं0 720, संचार भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

प्राप्ति की नियत तिथि	31.07.2008	तक	समय 13.00 बजे
तकनीकी बोली खुलने की तिथि	31.07.2008		समय 15.00 बजे
वित्तीय बोली खुलने की तिथि	07.08.2008		समय 15.00 बजे

दूरसंचार विभाग (मुख्यालय) की ओर से, दूरसंचार विभाग के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय के लिए, यूपीएस प्रणालियों के लिए वापस खरीद (बीबी) योजना के अंतर्गत, एक वर्ष की अवधि हेतु 12 वी 7.2 एएच एस0एम0एफ0 बैटरी (500 की संख्या में) की आपूर्ति हेतु मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

1) एसएमएफ बैटरी 12वी 7.2 एएच -500 (वापस खरीद योजना के अंतर्गत) की आपूर्ति
विक्रेता की पात्रता की शर्तें :-

(i) बोली में भाग लेने के लिए वे कंपनियां पात्र हैं जिनको किन्ही केन्द्रीय सरकारी विभागों/मंत्रालयों /सरकारी उपक्रमों में दो वर्ष से अधिक समय तक 500 बैटरियों की आपूर्ति करने का पहले से अनुभव है।

(ii) कंपनी की, पिछले दो वित्तीय वर्षों में, केवल इसके विक्रय कारोबार से कम से कम 1 करोड़ रुपए की वार्षिक टर्नओवर होनी चाहिए। इसके लिए सनदी लेखाकार से लिया गया टर्नओवर प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना है।

(iii) कंपनी के पास विनिर्माण की सुविधा/पैनासोनिक/हिताची/ऑर्चिड/एक्साइड आदि जैसी किसी भी कंपनी की बैटरियों के लिए प्राधिकृत विक्रय की साझेदारी होनी चाहिए।

(iv) कंपनी के पास दिल्ली में बैटरी परीक्षण की सुविधाओं में सहायता प्रदान करने हेतु पर्याप्त वास्तविक अवसंरचना और मरम्मत केन्द्र होना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर दूरसंचार विभाग के प्राधिकारियों द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।

बोलीदाताओं को बोली के साथ दिल्ली के किसी भी अनुसूचित बैंक में देय **7000/-रु0 (सात हजार रुपए मात्र)** के डिमांड ड्राफ्ट, जो "वेतन एवं लेखा अधिकारी, दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली-110001" के पक्ष में हो, के रूप में बोली प्रतिभूति जमा करानी होगी।

इच्छुक पात्र बोलीदाता सहायक निदेशक (आईटी-।।।), कमरा सं0 720, संचार भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 से **31.07.2008 तक 11.00 बजे से 13.00 बजे तक 1000/-रु0 (एक हजार रुपए मात्र)** (अप्रतिदेय) का भुगतान करके बोली दस्तावेज की प्रति प्राप्त कर सकते हैं। यह भुगतान "वेतन एवं लेखा अधिकारी दूरसंचार विभाग मुख्यालय, नई दिल्ली-110001" के पक्ष में दिल्ली/नई दिल्ली के किसी भी अनुसूचित बैंक के देय रेखांकित डिमांड-ड्राफ्ट के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

भाग-II
बोलीदाताओं को अनुदेश

क. प्रस्तावना

1. परिभाषा :

(क) "क्रेता" का तात्पर्य" दूरसंचार विभाग" से है।

(ख) "बोलीदाता" का तात्पर्य"इस बोली में भाग लेने वाले तथा अपनी बोली को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति या फर्म" से है।

(ग) "आपूर्तिकर्ता" का तात्पर्य"संविदा के तहत वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति या फर्म" से है।

(घ) "वस्तुओं" का तात्पर्य"संविदा के तहत क्रेता की आपूर्ति करने हेतु आपूर्तिकर्ता के लिए अपेक्षित सभी उपस्करों, मशीनरी, कंप्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर तथा/या अन्य सामग्रियों" से है।

(ङ) "अग्रिम क्रयादेश" का तात्पर्य"बोलीदाता को क्रयादेश देने संबंधी क्रेता का इरादा" से है।

(च) "क्रयादेश " का तात्पर्य क्रेता द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से आपूर्तिकर्ता को दिया जाना वाला क्रय संबंधी आदेश है, जिसमें तत्संबंधी क्रय-निर्देश में उल्लिखित सभी कागजातों एवं सभी संलग्न वस्तुएं तथा संबद्ध उपस्कर शामिल हैं। क्रयादेश को दस्तावेज में उल्लिखित "संविदा " समझा जाएगा।

(छ) "संविदा कीमत" का तात्पर्य" संविदागत दायित्वों के पूर्ण एवं उचित निष्पादन हेतु क्रयादेश के तहत आपूर्तिकर्ता को देय कीमत" से है।

(ज) "वैधीकरण" एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से भारतीय दूरसंचार नेटवर्क में निविदा विनिर्देशन के अनुसार निर्धारित तकनीकी मानकों के प्रति इसके निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए उपस्कर/प्रणाली की जांच की जाती है। वैधीकरण अनुरूपी क्षेत्रीय परिवेश में किया जाता है और इसमें स्थिरता, विश्वसनीयता एवं परिवेश परीक्षण शामिल होते हैं।

(झ) चयनित बोलीदाता जिसे इसके अंतर्गत आपूर्तिकर्ता कहा गया है, उस संविदा जिसके लिए दूरसंचार विभाग द्वारा विहित करार पर हस्ताक्षर किया जाना है, की निबंधन एवं शर्तों के अध्यधोन एसएमएफ बैटरियों/विस्तुओं की आपूर्ति करेगा।

2. पात्र बोलीदाता :

बोलियों के लिए यह आमंत्रण निम्नलिखित के लिए खुला होगा :

(i) वे कम्पनियां जिन्हें किसी केन्द्रीय सरकार के विभाग/मंत्रालयों/सरकारी प्रतिष्ठानों को दो वर्षों से अधिक समय तक 500 बैटरियों की आपूर्ति करने का अनुभव हो, इस बोली में भाग लेने के लिए पात्र हैं।

(ii) कम्पनी का पिछले दो वित्तीय वर्षों में केवल इसके विक्रय व्यापार से प्रतिवर्ष न्यूनतम 1 करोड़ रु0 का कारोबार रहा हो। कारोबार से संबंधित चार्टर्ड लेखाकार का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाए।

(iii) कम्पनी के पास पैनासोनिक/हिटाची/ऑर्चिड/एक्साईड आदि जैसी किसी कम्पनी की बैटरियों के लिए विनिर्माण सुविधा/प्राधिकृत विक्रय साझेदार हों।

(iv) कम्पनी के पास बैटरी परीक्षण सुविधाओं की सहायता के लिए पर्याप्त वास्तविक अवसंरचना हो तथा दिल्ली में मरम्मत केन्द्र हो। जरूरत पड़ने पर दूरसंचार विभाग के प्राधिकारियों द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।

3. बोली की लागत :

बोलीदाता बोली तैयार करने एवं इसे प्रस्तुत करने संबंधी सभी लागतों का वहन करेगा। दूरसंचार विभाग, बोली प्रक्रिया के परिणाम या संचालन को ध्यान में रखे बिना, इन लागतों के वहन के लिए किसी भी परिस्थिति में जिम्मेवार नहीं होगा।

ख. बोली दस्तावेज :

4 बोली दस्तावेज :

4.1 बोली दस्तावेजों में अपेक्षित वस्तुओं, बोली प्रक्रियाओं तथा संविदागत शर्तों को विनिर्धारित किया गया है।

बोली दस्तावेज में निम्नलिखित शामिल हैं :-

(क) निविदा नोटिस

(ख) बोलीदाताओं को अनुदेश

(ग) संविदा की सामान्य (व्यावसायिक) शर्तें

(घ) मांग अनुसूची

(ङ) रखरखाव/आपूर्ति की जाने वाली मदों की सूची

(च) संविदा प्रपत्र का फार्मेट

(छ) बोली प्रपत्र का फार्मेट

(ज) निष्पादन सुरक्षा बॉंड प्रपत्र का फार्मेट

(झ) बोली खोलने की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्राधिकार पत्र का फार्मेट

(ञ) मूल्य अनुसूची

(ट) जांच सूची

4.2 बोलीदाता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह बोली दस्तावेजों के सभी निर्देशों, प्रपत्रों, शर्तों तथा विनिर्देशनो की जांच करे। बोली दस्तावेजों के अनुसार अपेक्षित सभी सूचना देने में विफलता या ऐसी बोलियां प्रस्तुत करना जो बोली दस्तावेजों के प्रति पूरी तरह अनुकूल न हो, ऐसे प्रत्येक मामले में होने वाला जोखिम बोलीदाता को उठाना होगा और इस स्थिति में तकनीकी बोली खोलते समय बोली निरस्त भी हो सकती है।

5. बोली दस्तावेजों से संबंधित स्पष्टीकरण :

यदि कोई भावी बोलीदाता बोली दस्तावेजों का स्पष्टीकरण चाहता है तो वह दूरसंचार विभाग को बोलियों के आमंत्रण प्रारूप में उल्लिखित दूरसंचार विभाग के पते पर लिखित में सूचित करेगा । दूरसंचार विभाग बोली दस्तावेजों के स्पष्टीकरण हेतु किसी अनुरोध का जवाब लिखित में देगा, जिसे यह बोलियों को प्रस्तुत करने की तारीख से अधिक से अधिक एक सप्ताह पूर्व प्राप्त करता है। दूरसंचार विभाग द्वारा प्रश्नों [स्रोत की जानकारी प्राप्त किए बिना] तथा दिए गए स्पष्टीकरणों की प्रतियां बोली दस्तावेजों को प्राप्त करने वाले सभी संभाव्य बोलीदाताओं को भेजी जाएंगी।

6 बोली दस्तावेजों का संशोधन

6.1 किसी भी समय, बोलियों के प्रस्तुत करने की तारीख से पूर्व, दूरसंचार विभाग किसी भी कारणवश चाहे अपने स्वयं की पहल से या भावी बोलीदाता द्वारा प्रार्थित स्पष्टीकरण के प्रत्युत्तर में, बोली दस्तावेजों में संशोधनों के माध्यम से परिवर्तन कर सकता है।

6.2 सभी संभाव्य बोलीदाताओं को दूरसंचार विभाग से बोली दस्तावेजों की खरीद के समय बताए गए उनके पते पर संशोधनों के संदर्भ में लिखित रूप में या फैक्स या ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा तथा ये संशोधन उनके लिए बाध्यकारी होंगे।

6.3 संभाव्य बोलीदाताओं को अपनी बोली तैयार करने में संशोधन लाने हेतु पर्याप्त समय प्रदान करने की बाबत, दूरसंचार विभाग अपने विवेकानुसार बोलियों को समुचित रूप से प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को बढ़ा सकता है।

ग. बोलियों को तैयार करना

7. बोली सहित दस्तावेज

बोलीदाता द्वारा तैयार की गई बोली में (1) तकनीकी बोली, एवं (2) वित्तीय बोली दोनों शामिल होंगे :

7.1 तकनीकी बोली में निम्नलिखित दस्तावेज शामिल होंगे। दस्तावेजों को निम्नलिखित क्रम में, जांच सूची को सबसे ऊपर रखते हुए, रखा जाएगा।

(क) जांच सूची (अनुबंध-VI के अनुसार)

(ख) बोली खोलने हेतु प्राधिकार पत्र (अनुबंध-IV के अनुसार)

(ग) 7000/-रु0 के बैंक ड्राफ्ट के रूप में बोली प्रतिभूति (भाग-I के अनुसार)

(घ) पावर ऑफ एटॉर्नी (भाग II के खण्ड 14.2 के अनुसार)

(ङ) मूल बोली दस्तावेज सं0 17-4/2008-सूचना प्रौद्योगिकी (29 पृष्ठ) के सभी पृष्ठों पर प्राधिकृत व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर करके तथा मुहर लगाकर व्यापारिक शर्त के प्रति वास्तविक अनुक्रियाशीलता को दर्शाते हुए खण्ड-वार अनुपालन (भाग II के खण्ड 11.2 के अनुसार)

(च) तकनीकी और कार्य निष्पादन क्षमता के लिए दस्तावेजी साक्ष्य (आईएसओ प्रमाण पत्र के रूप में)(भाग II के खंड 10.2 के अनुसार)

(छ) पिछले दो वर्षों तक बिक्री व्यवसाय से 1 करोड़ रुपए से अधिक के वार्षिक कारोबार के संबंध में सीए से प्रमाण-पत्र (भाग-II के खंड 10.1 के अनुसार)

(ज) वैध आय कर स्वीकृति प्रमाण-पत्र/पैन सहित आयकर रिटर्न (भाग II के खण्ड 10.1 के अनुसार)

(झ) संस्थापना प्रमाण-पत्र/फर्म पंजीकरण प्रमाण-पत्र (भाग II के खंड 10.1 के अनुसार)

(ञ) संगम ज्ञापन अनुच्छेद/स्वामित्व विलेख प्रमाण-पत्र (भाग II के खण्ड 10.1 के अनुसार)

(ट) पैनासोनिक/हिताची/आर्किड/एक्साइड आदि जैसी कम्पनियों में से किसी की बैटरियों के लिए विनिर्माण सुविधा/अधिकृत बिक्रय साझेदार का प्रमाण-पत्र [भाग II के खंड 2 के अनुसार]

(ठ) केन्द्र सरकार के विभागों/मंत्रालयों/सरकारी उपक्रमों में दो वर्षों से अधिक समय तक 500 बैटरियों की आपूर्ति करने का अनुभव (भाग II के खंड-2 के अनुसार]

7.2 वित्तीय बोली में निम्नलिखित शामिल होंगे :

(क) जांच सूची (अनुबंध- VII के अनुसार)

(ख) बोली प्रपत्र (अनुबंध ।। के अनुसार)

(ग) मूल्य अनुसूची (अनुबंध V के अनुसार)

टिप्पणी : बोली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज(चाहे वे मूल हों अथवा छाया प्रति)आवश्यक रूप से सुपाठ्य होने चाहिए अन्यथा बोली को निरस्त कर दिए जाने की संभावना है।

8. बोली प्रपत्र :

बोलीदाता बोली अनुबंध-।। और अनुबंध-V के अनुसार बोली दस्तावेजों में दिए गए बोली प्रपत्र और उपयुक्त मूल्य अनुसूची को भरेगा।

9. बोली की कीमत :

9.1 बोलीदाता सभी लेवियों तथा करों सहित कुल संयुक्त कीमत दर्शाएगा । अनुबंध-V में वर्णित मूल्य अनुसूची के अनुसार संविदा के अंतर्गत सप्लाई किए जाने हेतु प्रस्तावित प्रत्येक मद के लिए कीमत को अलग-अलग दर्शाये जाने की आवश्यकता है। यह पेशकश भारतीय रुपयों में निश्चित होगी। दूरसंचार विभाग द्वारा कोई विदेशी मुद्रा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

9.2 बोलीदाता द्वारा उद्धृत कीमतें संविदा की संपूर्ण अवधि के लिए स्थिर होंगी और वे किसी कारण से किसी भी परिवर्तन के अध्यधीन नहीं होगी। समायोज्य कीमत कोटेशन के साथ प्रस्तुत बोली के गैर-अनुक्रियाशील माने जाने और अस्वीकार किए जाने की संभावना है। यदि बोलीदाता विभिन्न विकल्पों के तहत दो दरें उद्धृत करता है तो न्यूनतम दर को ध्यान में रखा जाएगा।

9.3 बोलीदाता द्वारा उद्धृत बोली का पर्याप्त ब्योरा होगा ताकि दूरसंचार विभाग अनुबंध-V में प्रत्येक मद के लिए पेश की गई कीमत तय कर सके।

9.4 बोलीदाताओं द्वारा दी गई "छूट" यदि कोई हो, पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक उन्हें मूल्य अनुसूची में विशेष रूप से निर्दिष्ट नहीं किया गया हो। इसलिए छूट की पेशकश करने के इच्छुक बोलीदाताओं को बोली लगाते समय अपनी पेशकशों को उपयुक्त रूप से संशोधित करना होगा तथा वे छूट, निःशुल्क सप्लाई आदि जैसे सभी घटकों को ध्यान में रखकर निवल कीमत को स्पष्ट रूप से उद्धृत करेंगे।

9.5 बाई-बैक (बीबी) योजना के तहत एसएमएफ बैटरियों की आपूर्ति के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा अनुमोदित कीमत के अंतर्गत सभी लेवी तथा कर शामिल होंगे। इस कीमत में बाई-बैक स्कीम के अंतर्गत आने वाली पुरानी बैटरियों को दूरसंचार विभाग मुख्यालय से सप्लायर के परिसर तक हटाने के प्रभार भी शामिल होंगे।

10. बोलीदाताओं की पात्रता तथा योग्यता को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज :

10.1 बोलीदाता बोली दस्तावेजों के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार बोली दस्तावेजों के भाग के रूप में अपनी पात्रता को प्रमाणित करने वाले निम्नलिखित सभी दस्तावेज अथवा जो कोई भी अपेक्षित हो, प्रस्तुत करेगा।

(i) फर्म की स्थापना/पंजीकरण संबंधी प्रमाण-पत्र।

(ii) कम्पनी का संगम ज्ञापन अनुच्छेद अथवा स्वामित्व विलेख ।

(iii) वैध वार्षिक आयकर क्लीयरेंस प्रमाण-पत्र/पैन के साथ आयकर विवरणी ।

(iv) कम्पनी सचिव/सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित बिक्री व्यवसाय से गत दो वर्षों का वार्षिक कारोबार प्रमाण-पत्र।

10.2 बोलीदाता इस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेगा कि उसके पास इस संविदा को निष्पादित करने के लिए आईएसओ प्रमाण-पत्र के रूप में यथा-अपेक्षित वित्तीय, तकनीकी एवं निष्पादन क्षमता होगी।

11. बोली दस्तावेजों के अनुरूप वस्तुओं को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज :

11.1 बोलीदाता को, खंड-7 के अनुसरण में, इस संविदा के तहत उसके द्वारा उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तावित सभी सेवाओं के बोली दस्तावेजों में अपनी बोली की अनुरूपता को प्रमाणित करने वाले दस्तावेजों को, अपनी बोली के भाग के रूप में, प्रस्तुत करना होगा।

11.2 बोली दस्तावेजों के अनुरूप सेवाओं के दस्तावेजी साक्ष्य साहित्य एवं आंकड़ों के रूप में सकते हैं। इसके अंतर्गत प्राधिकृत व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा मूल बोली दस्तावेजों के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर और मोहर के रूप में तकनीकी विनिर्देशनों एवं वाणिज्यिक शर्तों के प्रति वास्तविक अनुक्रियाशीलता को दर्शाने वाले दूरसंचार विभाग की तकनीकी एवं वाणिज्यिक शर्तों के खण्ड-वार अनुपालन को प्रस्तुत करेगा। परिवर्तनों की स्थिति में बोलीदाता द्वारा तकनीकी विनिर्देशनो तथा वाणिज्यिक शर्तों के उपबंध में परिवर्तनों और अपवादों का एक विवरण दिया जाएगा। तकनीकी विनिर्देशन (भाग-I) एवं वाणिज्यिक विनिर्देशन भाग-II) के खण्ड-वार अनुपालन रहित किसी बोली पर विचार नहीं किया जाएगा।

11.3 उपर्युक्त खण्ड 11.2 के अनुसरण में अनुपालन प्रस्तुत करने के प्रयोजनार्थ बोलीदाता यह नोट करेगा कि कारीगारी संबंधी मानक, दूरसंचार विभाग द्वारा अपने तकनीकी विनिर्देशनों में नामित सामग्री तथा उपस्कर और व्यापारिक नामों अथवा सूची पत्र संख्या के संदर्भ का अभिप्राय केवल विवरणात्मक हो न कि प्रतिबंधात्मक ।

12. बोली जमानत :

12.1 खण्ड 7 के अनुसरण मे बोलीदाता अपनी बोली के भाग के रूप में 7000/-रु0 (सात हजार रु0 मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट बोली जमानत के रूप में प्रस्तुत करेगा।

12.2 बोली जमानत बोलीदाता के आचरण संबंधी जोखिम के विरूद्ध क्रेता के संरक्षणार्थ अपेक्षित है, जिसके अंतर्गत पैरा 12.7 के अनुसरण में बोली जमानत को जब्त करने का अधिकार प्राप्त होगा।

12.3 बोली जमानत "वेतन एवं लेखा अधिकारी, दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली - 110001 " के पक्ष में अनुसूचित बैंक द्वारा जारी बैंक ड्राफ्ट के रूप में होगी। बैंक ड्राफ्ट बोली को खोलने की तिथि से 150 दिनों की अवधि तक वैध रहेगा।

12.4 पैरा 12.1 एवं 12.3 के अनुसार जमा नहीं कराई गई बोली दूरसंचार विभाग द्वारा गैर-अनुक्रियाशील के रूप में अस्वीकार कर दी जाएगी।

12.5 असफल बोलीदाता की बोली जमानत संभवतः तकनीकी बोली खोलने के समय ही, लेकिन दूरसंचार विभाग द्वारा विनिर्धारित बोली की वैद्यता अवधि के बाद से 30 दिन के बाद नहीं, लौटा दी जाएगी।

12.6 खंड 13 के अनुसरण में, वित्तीय बोली के असफल बोलीदाताओं की बोली जमानत सफल बोलीदाता द्वारा कार्य आदेश को स्वीकार किए जाने तथा निष्पादन जमानत को प्रस्तुत करने, यदि संभव हो, बाद, लेकिन दूरसंचार विभाग द्वारा बोली की विनिर्धारित अवधि के बाद 30 दिन के बाद नहीं, लौटा दी जाएगी। खण्ड 27 का अनुपालन करते हुए, सफल बोलीदाता की बोली जमानत का भुगतान बोलीदाता द्वारा कार्य संबंधी अग्रिम आदेश को संतोषजनक ढंग से स्वीकार किए जाने तथा निष्पादन जमानत को प्रस्तुत किए जाने के बाद कर दिया जाएगा।

12.7 बोली जमानत जब्त की जा सकती है जब

(क) यदि बोलीदाता बोली प्रपत्र पर स्वयं द्वारा विनिर्दिष्ट बोली वैद्यता की अवधि के दौरान अपनी बोली वापस ले लेता है ;

(ख) सफल बोलीदाता के मामले में, यदि बोलीदाता असफल रहता है ;

- खण्ड 28 के अनुसार करार पर हस्ताक्षर करने में ;
- खण्ड 28 के अनुसार निष्पादन जमानत प्रस्तुत करने में ।

13. बोलियों की वैधता की अवधि :

13.1 खण्ड 19.1 के अनुसार दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित बोली खोलने की तारीख से 90 दिनों तक वैध रहेगी। अपेक्षाकृत कम अवधि के लिए वैध बोली दूरसंचार विभाग द्वारा अनुक्रियाशील न होने के रूप में निरस्त कर दी जाएगी।

13.2 आपवादिक परिस्थितियों में दूरसंचार विभाग बोली की वैद्यता की अवधि को बढ़ाने के लिए बोलीदाता की सहमति का अनुरोध कर सकता है। तत्संबंधी अनुरोध और उसके प्रति उत्तर लिखित में होंगे। खण्ड 12 के अंतर्गत उपबंधित बोली जमानत में भी सुविधानुसार वृद्धि की जा जाएगी । बोलीदाता अनुरोध को उसकी बोली जमानत को जब्त किए बिना ठुकरा सकता है। अनुरोध को स्वीकृति देने वाले बोलीदाता को अपनी बोली में संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी।

14. बोली का प्रपत्र तथा बोली पर हस्ताक्षर करना

14.1(i) बोलीदाता तकनीकी एवं वित्तीय बोलियों को पृथक रूप से सेट तैयार करेगा।

14.2 बोली की प्रति टंकित अथवा मुद्रित होगी और इसके सभी पृष्ठ क्रमवार संख्यांकित होंगे तथा बोलीदाता अथवा करार के प्रति बोलीदाता को बाध्य करने के लिए विधिवत प्राधिकृत किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित होंगे। प्राधिकार पत्र को बोली के साथ लिखित पावर ऑफ एटॉर्नी के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। बोली के सभी पृष्ठों पर बोली पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और मोहर लगाए जाएंगे। प्रस्तुत की गई बोलियों को समुचित ढ़ंग से मोहरबंद किया जाएगा।

14.3 बोली में, बोलीदाता द्वारा अपने अपेक्षित त्रुटियों के संशोधन को छोड़कर कोई अन्तरापंक्ति, काट-छांट अथवा लिखावट के ऊपर लिखावट नहीं होनी चाहिए। बोलीदाता द्वारा त्रुटियों का संशोधन किए जाने की स्थिति में इन संशोधनों पर हस्ताक्षर बोली पर हस्ताक्षर करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा।

घ. बोलियों का प्रस्तुतीकरण

15 बोलियों को मोहरबंद करना तथा उनका अंकन करना

15.1 बोलीदाता तकनीकी तथा वित्तीय बोलियों को अलग-अलग लिफाफे में मोहरबंद करेगा और उन्हें अपेक्षाकृत एक बड़े लिफाफे में रखेगा। तकनीकी बोली के लिफाफे पर "तकनीकी बोली निविदा सं0 17-4/2008-आईटी" नाम उल्लिखित होगा, जबकि वित्तीय बोली के लिफाफे पर "वित्तीय बोली" निविदा सं0 17-4/2008 आईटी" अंकित होगा ताकि किसी प्रकार का घालमेल न हो।

तकनीकी बोली

तकनीकी बोली में निम्नलिखित दस्तावेज शामिल होंगे। इन दस्तावेजों को सबसे ऊपर जांच सूची रखते हुए क्रमानुसार रखा जाएगा।

(क) जांच सूची (अनुबंध-VII के अनुसार)

(ख) खोली जाने वाली बोली के लिए प्राधिकार - पत्र (अनुबंध-IV के अनुसार)
(ग) बैंक ड्राफ्ट के रूप में 7000/-रु0 की बोली जमानत (भाग I के अनुसार)
(घ) पावर ऑफ एटॉर्नी (भाग II के खण्ड 14.2 के अनुसार)
(ङ) मूल बोली दस्तावेज सं0 17-4/2008-आईटी (29 पृष्ठों वाला) के सभी पृष्ठों पर प्राधिकृत व्यक्ति/ व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर करने और मोहर लगाकर व्यापारिक शर्तो के प्रति वास्तविक अनुक्रियाशीलता को दर्शानेवाला खण्ड-वार अनुपालन (भाग II के खण्ड 11.2 के अनुसार)
(च) तकनीकी तथा कार्य निष्पादन संबंधी क्षमता (आईएसओ प्रमाण-पत्र के रूप में) के दस्तावेजी साक्ष्य (भाग II के खंड 10.2 के अनुसार)
(छ) पिछले दो वर्षों के दौरान बिक्री व्यवसाय से 1 करोड़ से अधिक का वार्षिक कारोबार करने के संबंध में सनदी लेखाकार से लिया गया प्रमाण-पत्र (भाग II के खंड 10.1 के अनुसार)
(ज) वैध आयकर स्वीकृति प्रमाण-पत्र/पैन सहित आयकर रिटर्न (भाग II के खण्ड 10.1 के अनुसार)
(झ) संस्थापना प्रमाण-पत्र/फर्म पंजीकरण प्रमाण-पत्र (भाग II के खण्ड 10.1 के अनुसार)
(ञ) संगम ज्ञापन अनुच्छेद/स्वामित्व विलेख प्रमाण-पत्र (भाग II के खण्ड 10.1 के अनुसार)
(ट) पैनासोनिक/हिताची/आर्चिड/एक्साइड आदि जैसी किसी भी कंपनियों की बैटरियों का विनिर्माण करने/प्राधिकृत बिक्री भागीदारी का प्रमाण-पत्र (भाग II के खंड 2 के अनुसार)
(ठ) किसी केन्द्रीय सरकार के विभाग/मंत्रालय/सरकारी उपक्रमों में 500 बैटरियां आपूर्ति करने का दो वर्ष से अधिक का अनुभव (भाग II के खण्ड 2 के अनुसार)

वित्तीय बोली

वित्तीय बोली में निम्नलिखित शामिल होंगे :

(क) जांच सूची (अनुबंध VII के अनुसार)

(ख) बोली प्रपत्र (अनुबंध II के अनुसार)

(ग) मूल्य सूची (अनुबंध V के अनुसार)

15.2 अलग-अलग मोहरबंद लिफाफे में रखी तकनीकी तथा वित्तीय बोलियों वाला अपेक्षाकृत बड़ा मोहरबंद लिफाफा निम्न प्रकार होगा :

(क) निम्नलिखित को संबोधित होगा :

सहायक महानिदेशक (आईटी-III)
दूरसंचार मुख्यालय, कमरा सं0 720,
संचार भवन,
संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

(ख) निविदा संख्या 17-4/2008-आईटी और "नियत तारीख से पूर्व न खोले" शब्द लिखा हो ; और
(ग) लिफाफे पर बोलीदाता का नाम और पता लिखा हो ताकि विलम्ब से प्राप्त होने की स्थिति में बोली को बिना खोले लौटाया जा सके।
(घ) निविदाएं पंजीकृत डाक या व्यक्तिगत रूप से डिलीवर की जाए। निविदाएं समय पर डिलीवर हों, यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व बोलीदाता का होगा।
(ङ) व्यक्तिगत रूप से जमा की जाने वाली बोलियां निर्धारित तारीख को या इसके पूर्व सहायक निदेशक (आईटी-III), कमरा सं0 720, संचार भवन, संसद मार्ग नई दिल्ली- 110001 के यहां जमा करायी जाएंगी। यदि बोलियां अन्यत्र जमा की जाती हैं तो दूरसंचार विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

15.3 यदि लिफाफा मुहरबंद और चिन्हित नहीं है, जैसा कि पैरा 15.1 और 15.2 में अपेक्षित है, तो बोली को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

16. बोलियां प्रस्तुत करना :

16.1 बोलियां पैरा 15.2 के तहत विनिर्दिष्ट पते पर नियत तिथि को निर्धारित समय पर दूरसंचार विभाग को प्राप्त होनी चाहिए।

16.2 दूरसंचार विभाग अपने विवेक से खंड 6 के अनुसार बोली दस्तावेजों में संशोधन कर बोलियां प्रस्तुत करने की इस समय सीमा को बढ़ा सकता है, इस स्थिति में दूरसंचार विभाग और बोलीदाताओं के समय-सीमा के अध्यधीन पहले के सभी अधिकार और दायित्व इसके पश्चात यथा विस्तारित समय सीमा के अध्यधीन होंगे।

17. विलम्ब से प्राप्त बोलियां

17.1 खंड 16 के अनुसार बोलियां प्रस्तुत करने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा के पश्चात दूरसंचार विभाग द्वारा प्राप्त की गई कोई बोली अस्वीकृत कर दी जाएगी और बिना खोले बोलीदाता को वापस कर दी जाएगी।

18. बोलियों में संशोधन और उन्हें वापस लेना

18.1 बोलीदाता बोली प्रस्तुत करने के पश्चात अपनी बोली में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है बशर्ते कि दूरसंचार विभाग को बोली प्रस्तुत करने के लिए विहित समय-सीमा से पहले संशोधन या वापसी की लिखित सूचना प्राप्त हो जाए।

18.2 बोलीदाता की संशोधन या वापसी सूचना खंड 15 के उपबंधों के अनुसार बोली प्रस्तुत करने के मामले में यथा अपेक्षित तरीके से तैयार, मुहरबंद, चिन्हित और प्रेषित की जाएगी। वापसी की सूचना टेलेक्स/फैक्स द्वारा भी भेजी जा सकती है परंतु बोलियां प्रस्तुत करने की समय-सीमा के भीतर ही एक पुष्टि की हस्ताक्षरित प्रति भेजनी होगी।

18.3 खंड 20 के अध्यधीन, बोलियां प्रस्तुत करने की समय सीमा के बाद बोली में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा।

ङ बोली खोलना और मूल्यांकन

19. बोलियां खोलना

19.1 बोलीदाताओं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों, जो बोली खोलने की तारीख और समय में उपस्थित रहना चाहते हों, की उपस्थिति में तकनीकी बोलियां खोली जाएंगी। बोलीदाताओं के प्रतिनिधि, जो उपस्थित हैं उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर करेंगे। उन्हें बोली खोलने के कार्य में भाग लेने की अनुमति देने के पहले बोलीदाता द्वारा इस आशय का एक प्राधिकार पत्र (अनुबंध IV) प्रस्तुत किया जाएगा। बोली खोलने के स्थान के बारे में स्वागत कक्ष, संचार भवन में सूचित किया जाएगा।

19.2 किसी बोलीदाता के लिए अधिकतम दो प्रतिनिधियों को प्राधिकृत किया जाएगा और उन्हें बोली खोलने के कार्य में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

19.3 बोलीदाता के नाम, बोली मूल्य, संशोधन, बोली वापसी और ऐसे अन्य ब्यौरों, जिन्हें दूरसंचार विभाग अपने विवेक से उपयुक्त समझे, की घोषणा बोली खोले जाने के समय की जाएगी।

20. बोलियों का स्पष्टीकरण :

20.1 बोलियों की जांच मूल्यांकन और तुलना में सहायता की बाबत दूरसंचार विभाग अपने विवेक से बोलीदाता को अपनी बोली के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए कह सकता है। स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध और उसका जवाब लिखित रूप में होगा। तथापि, बोली की तारीख के बाद बोलीदाता की पहल पर कोई स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा।

21. तकनीकी मूल्यांकन/तकनीकी रूप से बोली खोलना :

21.1 दूरसंचार विभाग यह तय करने के लिए तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन करेगा कि क्या वे पूर्ण रूप में हैं, क्या अपेक्षित प्रतिभूतियां दी गई हैं, क्या दस्तावेजों पर समुचित रूप से हस्ताक्षर किए गए हैं और बोलियां अंत में दी गई मिलान सूची के अनुसार सामान्यतः क्रम में हैं।

21.2 वित्तीय बोली खोले जाने से पहले, खंड 22 के अनुसार दूरसंचार विभाग प्रत्येक तकनीकी बोली के बोली दस्तावेज के प्रति तकनीकी अर्हता का निर्धारण करेगा। इन खंडों के उद्देश्य से, तकनीकी रूप से योग्य बोली वह है जो बोली दस्तावेजों के सभी निबंधन और शर्तों को पूरा करे तथा इसमें कोई दस्तावेज छूट नहीं गया हो। बोली की तकनीकी अर्हता का दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारण बाहरी प्रमाण का सहारा लिए बिना स्वंय बोली की विषय-वस्तु पर आधारित होना चाहिए।

21.3 ऐसी बोली जिसे तकनीकी रूप से अयोग्य निर्धारित किया जाए को दूरसंचार विभाग द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाएगा और बोली खोले जाने के बाद बोलीदाता द्वारा गैर-अनुरूपता में सुधार कर इसे तकनीकी रूप से योग्य नहीं बनाया जाएगा।

22. योग्य बोलीदाताओं का वित्तीय मूल्यांकन/वित्तीय बोली का खोला जाना :2

22.1 दूरसंचार विभाग वित्तीय बोलियों को खोलेगा और उन बोलियों का मूल्यांकन करेगा जिन्हें पूर्व में खंड 21 के अनुसार तकनीकी रूप से योग्य निर्धारित किया गया था। केवल तकनीकी रूप से योग्य सफल बोलीदाताओं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों को ही वित्तीय बोलियों को खोलने की कार्यवाही में भाग लेने के लिए कहा जाएगा। अयोग्य तकनीकी बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियों को नहीं खोला जाएगा और उन्हें बिना खोले नष्ट कर दिया जाएगा।

22.2 अंकगणितीय अशुद्धियां निम्नलिखित आधार पर ठीक की जाएंगी। यदि इकाई मूल्य और कुल मूल्य जो इकाई मूल्य और परिमाण में गुणा कर प्राप्त किया जाता है के बीच कोई असंगति होती है तो इकाई मूल्य प्रभावी होगा और कूल मूल्य को दूरसंचार विभाग द्वारा ठीक किया जाएगा। यदि शब्दों और अंकों में कोई भिन्नता है तो शब्दों में लिखी गयी राशि प्रभावी होगी। यदि सप्लायर अशुद्धियों को ठीक किए जाने को स्वीकार नहीं करता तो उसकी बोली अस्वीकृत कर दी जाएगी।

22.3 मूल्यांकन सभी मदों की कुल पैकेज लागत के एल-1 वेंडर पर किया जाएगा। मूल्यांकन के लिए तुलना पेश की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य पर आधारित होगी जिसमें सभी कर और लेवी भी शामिल हैं।

23. दूरसंचार विभाग से संपर्क :

23.1 खंड 20 के अध्यधीन कोई बोलीदाता अपनी बोली से संबंधित किसी मामले पर बोली खोले जाने के समय से ठेका प्रदान किए जाने के समय तक दूरसंचार विभाग को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा।

23.2 दूरसंचार विभाग के बोली मूल्यांकन, बोली तुलना या ठेका प्रदान करने के निर्णय में बोलीदाता द्वारा दूरसंचार विभाग को प्रभावित करने के किसी प्रयास के परिणामस्वरुप बोली को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

24. ठेका देना :

24.1 दूरसंचार विभाग उस बोलीदाता को एसएमएफ बैटरियों की आपूर्ति के लिए आर्डर जारी करने पर विचार करेगा जिनकी पेशकश दूरसंचार विभाग द्वारा तकनीकी वाणिज्यिक और वित्तीय रूप से स्वीकार्य पायी गयी हैं।

25. ठेका देते समय परिमाण में भिन्नता लाने का दूरसंचार विभाग का अधिकार :

25.1 दूरसंचार विभाग को ठेका प्रदान करने के समय आर्डर किए गए परिमाणों की इकाई मूल्य या अन्य निबंधन तथा शर्तों में बिना किसी परिवर्तन के आवश्यकताओं की अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं और सेवाओं के परिमाण में 50% तक वृद्धि या कमी करने का अधिकार होगा।

25.2 असाधारण स्थिति में जहां आवश्यकता तात्कालिक स्वरुप की है और मौजूदा विक्रेताओं से निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना आवश्यक है क्रेता विद्यमान बाजार दशाओं पर आधारित दरों की युक्तिसंगतता और शुल्कों और करों आदि में कटौती के प्रभाव पर विचार करते हुए समान दर पर या मौजूदा विक्रेताओं के साथ बातचीत द्वारा तय दर (नीचे की ओर) पर अग्रिम क्रयादेश को स्वीकार किए जाने की पुरानी तारीख से बारह महीनों की अवधि के भीतर चालू निविदा/ठेका में शामिल वस्तुओं और सेवाओं के 50% परिमाण तक दुबारा क्रयादेश देने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

26. दूरसंचार विभाग का किसी बोली को स्वीकार करने और किसी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार :

दूरसंचार विभाग के पास ठेका देने से पूर्व किसी समय बिना कोई कारण बताए किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और सभी बोलियों को अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित है और प्रभावित बोलीदाता या बोलीदाताओं की किसी देयता के लिए दूरसंचार विभाग की कार्रवाई उत्तरदायी नहीं होगी।

27. अग्रिम कार्य आदेश को जारी किया जाना :

27.1 अग्रिम कार्य आदेश को जारी किए जाने में दूरसंचार विभाग की बोलीदाता के साथ संविदा करने का इरादा निहित है।

27.2 बोलीदाता अग्रिम क्रय आदेश जारी करने के 15 दिनों के भीतर बोली दस्तावेजों के साथ प्रदान किए गए अनुबंध- III के अनरूप अपनी स्वीकृति और कार्य-निष्पादन प्रतिभूति देगा।

28. संविदा पर हस्ताक्षर :

28.1 कार्य आदेश जारी किए जाने में बोलीदाता को ठेका प्रदान किया जाना निहित है।

28.2 खंड 27 के अनुसार सफल बोलीदाता द्वारा कार्य निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत किए जाने पर दूरसंचार विभाग खंड 12 के अनुसार बोली को सुरक्षा प्रदान करने संबंधी अपने कार्य का निर्वहन करेगा।

29 ठेके को रद्द करना :

खंड 28 की आवश्यकता का अनुपालन करने में सफल बोलीदाता की विफलता ठेका रद्द किए जाने और बोली की प्रतिभूति राशि को जब्त किए जाने के लिए पर्याप्त आधार होगी जिस मामले में दूरसंचार विभाग अपने विवेक से किसी अन्य बोलीदाता को ठेका सौंप सकता है या नई बोलियां मंगा सकता है।

भाग-III

संविदा की सामान्य (व्यावसायिक) शर्तें

1. अनुप्रयोग :

सामान्य शर्तें बोलीदाता द्वारा वापसी खरीद योजना के तहत एसएमएफ बैटरी की आपूर्ति के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा किए गए अनुबंधों पर लागू होंगी।

2. मानक और पेटेंट अधिकार :

इस संविदा के अंतर्गत आपूर्ति किया जाने वाला सामान/सामग्री खंड-IV में उल्लिखित अपेक्षित अनुसूची में निर्धारित मानकों के अनुरूप होंगी।

आपूर्तिकर्ता, भारतीय दूरसंचार नेटवर्क में सामग्रियों अथवा तत्संबंधी किसी भाग के इस्तेमाल से उठने वाले पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन संबंधी अधिकारों के उल्लंघन के लिए, तीसरे पक्ष के सभी दावों की क्षतिपूर्ति क्रेता को करेगा।

3. कार्य निष्पादन प्रतिभूति :

3.1 आपूर्तिकर्ता अग्रिम कार्य आदेश के प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर अनुबंध-III में दिए गए प्रारूप में संविदा मूल्य की 10% की राशि बैंक गारंटी के रूप में निष्पादन प्रतिभूति दूरसंचार विभाग को देगा। निष्पादन प्रतिभूति 18 माह की अवधि के लिए होगी । यदि अग्रिम कार्य आदेश स्वीकार नहीं किया जाता है तो बोली की जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी। यदि निविदा बढ़ाई जाती है तो उसके अनुसार निष्पादन प्रतिभूति बढ़ाई जाऐगी।

3.2 कार्य निष्पादन प्रतिभूत की प्राप्ति, संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने में आपूर्तिकर्ता के विफल रहने के परिणामस्वरूप किसी प्रकार के नुकसान की प्रतिपूर्ति के रूप में दूरसंचार विभाग को देय होगी।

3.3 कार्य निष्पादन प्रतिभूति बांड अनुसूचित बैंक द्वारा जारी किए गए बैंक गारंटी के रूप में तथा इस बोली दस्तावेज के अनुबंध-III में दिए गए फ़ार्म में होगी।

3.4 इस संविदा के अंतर्गत आपूर्तिकर्ता के निष्पादन दायित्व के पूरा होने के उपरान्त दूरसंचार विभाग द्वारा कार्य निष्पादन प्रतिभूति बांड का उन्मोचन कर दिया जाएगा।

4. निरीक्षण और परीक्षण

4.1 कंपनी के पास बैटरी जांच करने की सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त भौतिक अवसंरचना तथा दिल्ली में मरम्मत केन्द्र होना चाहिए। आवश्यकता के समय दूरसंचार प्राधिकारियों द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।

4.2 यदि दूरसंचार विभाग की अपेक्षाओं/विनिर्देशों के अनुसार जांच/मरम्मत केन्द्र असफल होते है तो दूरसंचार विभाग बोलीदाता को खारिज कर सकते हैं।

4.3 आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति किया गया कोई सामान/सामग्री या उसका कोई भाग अगर खराब पाया जाता है और उसे किसी बाहरी स्रोत द्वारा प्रतिस्थापित करवाया जाता है और इस प्रकार के प्रतिस्थापन के खर्च का भुगतान दूरसंचार विभाग द्वारा किया जाता है तो उक्त भुगतान को आपूर्तिकर्ता को भुगतान की जाने वाली धनराशि से काट लिया जायेगा।

4.4 खंड 5 में किसी बात के होते हुए भी इस संविदा के अंतर्गत आपूर्तिकर्ता किसी प्रकार की वारंटी अथवा अन्य दायित्वों से मुक्त नहीं होगा।

5 वारंटी :

5.1 आपूर्तिकर्ता एक साल की वारंटी देगा कि आपूर्ति/प्रतिस्थापित किए गए मद नए होंगे और सामग्री सभी प्रकार की खराबियों और कमियों से मुक्त होगी।

6. भुगतान की शर्तें :

6.1 सामग्रियां (बैटरी) प्राप्त होने पर अंतिम परेषिती द्वारा संपूर्ण भुगतान कर दिया जाएगा। इस भुगतान का दावा करने हेतु भुगतान प्राधिकारी को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना है।

(i) बीजक
(ii) विधिवत पूर्व-प्राप्ति रसीद सहित सुपुर्दगी चालान/बिल दोहरी प्रतियों में
(iii) प्रेषण हेतु आपूर्तिकर्ता का प्रमाण-पत्र
(iv) विनिर्माता के मामले में उत्पाद गेट पास/बीजक अथवा समकक्ष दस्तावेज
(v) प्रेषिती रसीद
(vi) चुंगी/प्रवेश टैक्स यदि कोई हो, के भुगतान का प्रमाण

6.2 परीक्षण के दौरान स्थल पर खारिज की गई सामग्रियों के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

7. मूल्य

7.1 (क) संविदा के अंतर्गत आपूर्ति की गई सामग्रियों के लिए आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रभारित मूल्य आपूर्तिकर्ता द्वारा अपनी बोली में उद्धृत किए गए मूल्यों से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ख) निविदा को अंतिम रूप देने की अवधि के दौरान सांविधिक लेवियों और करों में संशोधन होने की स्थिति में, दूरसंचार विभाग को मूल्य में कमी की मांग करने का अधिकार होगा।

7.2 (क) एक बार निर्धारित मूल्य संविदा अवधि के दौरान वैध रहेगा। इस अवधि के दौरान करों और अन्य सांविधिक शुल्कों में वृद्धि और कमी से मूल्य प्रभावित नहीं होंगे।

(ख) सुपुर्दगी की तारीख समाप्त हो जाने के बाद करों और अन्य सांविधिक शुल्कों/लेवियों में किसी प्रकार की वृद्धि के लिए आपूर्तिकर्ता जिम्मेवार होगा। तथापि, आपूर्तिकर्ता इन करों/शुल्कों में किसी प्रकार की कमी का लाभ क्रेता को देगा ।

8. उप संविदाएं

यदि आपूर्तिकर्ता ने अपनी बोली में पहले से विशेष रूप से उल्लेख न किया हो तो आपूर्तिकर्ता इस संविदा के अंतर्गत सौंपे गए सभी उप ठेकों के बारे में दूरसंचार विभाग को लिखित में सूचित करेगा। अपनी मूल बोली या परवर्ती बोली में ऐसी अधिसूचना से आपूर्तिकर्ता इस संविदा के अंतर्गत किसी प्रकार की देयता और दायित्व से मुक्त नहीं होगा।

9. आपूर्ति/कार्य-निष्पादन में विलंब

9.1 पूर्तिकार द्वारा सामान की सुपुर्दगी और सेवाओं का निष्पादन क्रेता द्वारा उसके क्रय आदेश में विनिर्दिष्ट समय-सारणी के अनुसार किया जाएगा। यदि आपूर्ति क्रय आदेश में यथा-निर्दिष्ट विहित सुपुर्दगी की अवधि में पूरी नहीं की गई तो क्रेताओं को यह अधिकार होगा कि वह इस क्रय आदेश को या तो शीघ्र समाप्त/रद्द कर दे और/अथवा परिनिर्धारित नुकसानी प्रभार वसूल कर ले। आदेश रद्द किया जाना/शीघ्र समापन पूर्तिकार के जोखिम और जिम्मेदारी पर होगा और क्रेता को यह अधिकार होगा कि वह आपूर्ति नहीं की गई शेष मदों को चूककर्ता विक्रेताओं के जोखिम और खर्च पर क्रय कर सकता है।

9.2 पूर्तिकार द्वारा उसके सुपुर्दगी संबंधी दायित्वों के निष्पादन में विलंब किए जाने पर पूर्तिकार निम्नलिखित में से किसी अथवा सभी दंडों का भागी होगा : चूक के लिए इसकी निष्पादन प्रतिभूति जब्त किया जाना, परिनिर्धारित नुकसानी अधिरोपित किया जाना और/अथवा संविदा को समाप्त किया जाना।

9.3 संविदा के निष्पादन के दौरान यदि किसी समय पर पूर्तिकार के समक्ष ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसके कारण समय पर सामान की सुपुर्दगी और सेवा का निष्पादन करने में बाधा पड़ती हो तो पूर्तिकार क्रेता को विलंब के विषय में, इसकी संभावित अवधि और इसके कारणों के विषय में तत्काल लिखित रुप में सूचना देगा। पूर्तिकार से नोटिस प्राप्त होने के बाद, जहां तक व्यवहार्य हो, क्रेता उस परिस्थिति का आकलन करेगा और वह अपने विवेक से अनुबंध के निष्पादन की अवधि को बढ़ा सकता है (जो 20 सप्ताह से अधिक न हो) बशर्ते कि पूर्तिकार द्वारा इसके लिए क्रय आदेश के कुल मूल्य के 5% की दर से अतिरिक्त निष्पादन प्रतिभूति जमा कराई जाए।

9.4 यदि आपूर्तियां बढ़ाई गई सुपुर्दगी की अवधि में पूरी नहीं की जाती हैं तो क्रय आदेश का शीघ्र समापन कर दिया जाएगा और निष्पादन प्रतिभूतियां जब्त कर ली जाएंगी।

10. परिनिर्धारित नुकसानी :

10.1 निविदा की स्वीकृति में विहित स्टोर्स की सुपुर्दगी की तारीख को संविदा का अनिवार्य तत्व मानना चाहिए और सामान की सुपुर्दगी उसमें विनिर्दिष्ट तारीखों तक अनिवार्यतः पूरी कर दी जानी चाहिए। विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर, समय अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी। तथापि, यदि क्रेता की पूर्व सहमति लिए बिना संविदा के अनुसार सुपुर्दगी की अवधि के बाद कोई सुपुर्दगियां की जाती हैं और प्रेषिती द्वारा उनको स्वीकार कर लिया जाता है तो ऐसी सुपुर्दगी से क्रेता नीचे खंड 13.2 के तहत परिनिर्धारित नुकसानी की वसूली करने के अपने अधिकार से वंचित नहीं होगा।

10.2 यदि पूर्तिकार सुपुर्दगी की निर्धारित अवधि के भीतर स्टोर अथवा कोई अन्य सामान की सुपुर्दगी कर पाने में असफल रहता है तो क्रेता 10(दस) सप्ताह की अवधि तक विलंब के प्रत्येक सप्ताह अथवा उसके भाग के लिए विलंबित सुपुर्दगी के मूल्य के 0.5% की दर से और उसके बाद विलंब के अगले दस सप्ताह के लिए विलंब के प्रत्येक सप्ताह अथवा उसके भाग के लिए विलंबित सुपुर्दगी के मूल्य के 0.7% की दर से वसूली करने का हकदार होगा। पैकेज सुपुर्दगी की मामले में, यदि सुपुर्दगी के भाग के विलंब के कारण प्रणालियों के संस्थापन और उनको चालू किए जाने के कार्यों में अत्यधिक रुकावट आ जाए तो उस स्थिति में क्रय आदेश के संबंधित पैकेज के कुल मूल्य पर उपर्युक्त परिनिर्धारत नुकसानी प्रभार अधिरोपित कर दिए जाएंगे। क्रेता द्वारा आकलित और अधिरोपित परिनिर्धारित नुकसानी की मात्रा अंतिम होगी और पूर्तिकार द्वारा उस पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की जा सकेगी।

11. अपरिहार्य परिस्थिति

11.1 इस संविदा के भागी रहने के दौरान, यदि किसी समय किसी भी पक्षकार द्वारा किसी युद्ध अथवा युद्धस्थिति, सार्वजनिक शत्रुता, नागरिक उत्तेजना, तोड़-फोड़, आगजनी, बाढ़, विस्फोटों, महामारियों, संगरोध प्रतिबंधों, हड़तालों, तालाबंदी की कार्रवाई अथवा दैवी आपदाओं (जिन्हें इसके बाद घटनाएं कहा गया है), के कारणों से इस संविदा के अंतर्गत किसी दायित्व का पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से निष्पादन रोक दिया जाता है अथवा उसमें विलंब किया जाता है तो किसी भी पक्षकार द्वारा घटना की तारीख से 21 दिन के भीतर दूसरे पक्षकार को ऐसी घटना के घटित होने की सूचना दिए जाने के अध्यधीन कोई पक्षकार न तो ऐसी घटना के कारण इस संविदा को समाप्त करने का हकदार होगा और न ही कोई पक्षकार क्षतियों के लिए अन्य पक्षकार के विरूद्ध निष्पादन नहीं किए जाने अथवा निष्पादन में विलंब किए जाने के संबंध में कोई दावा करेगा और इस संविदा के अंतर्गत सुपुर्दगियां, ऐसी घटना के समाप्त होने अथवा उसे रोक दिए जाने पर जैसे ही व्यवहार्य होगा, शुरु कर दी जाएंगी और ऐसी सुपुर्दगियां शुरु कर दी जाएं अथवा नहीं, इस विषय में क्रेता का निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा। इसके अतिरिक्त ऐसी घटना के कारण इस संविदा के अंतर्गत यदि किसी दायित्व का निष्पादन पूर्ण रुप से अथवा आंशिक रुप से 60 दिन से अधिक अवधि के लिए रोक दिया जाता है अथवा विलंब किया जाता है तो कोई भी पक्षकार अपनी इच्छा से संविदा को समाप्त कर सकता है।

11.2 यदि संविदा को इस खंड तहत समाप्त किया जाता है तो इस शर्त के अध्यधीन भी क्रेता को उन समस्त अप्रयुक्त, अक्षतिग्रस्त और स्वीकार्य सामग्रियों, विनिर्माण की प्रक्रिया में खरीदे गए संघटकों और स्टोर्स को अथवा उसके भाग को, जैसा क्रेता उचित समझे, जो संविदा के समापन के समय पूर्तिकार के अधिकार में हो सकते हैं, क्रेता द्वारा निर्धारित मूल्य पर, जोकि अंतिम होगा, पूर्तिकार से लेने की स्वतंत्रता होगी तथा इसमें उन सामग्रियों और खरीदे गए संघटकों और स्टोर्स को छोड़ दिया जाएगा जिनके लिए पूर्तिकार ने क्रेता की सहमति से अपने पास रखने का चुनाव किया है।

12. चूक होने पर संविदा निरस्त करना

12.1 दूरसंचार विभाग, संविदा भंग करने हेतु किसी अन्य उपाय के पूर्वाग्रह के बिना, पूर्तिकार को चूक का लिखित नोटिस भेजकर इस संविदा को पूर्ण रूप में अथवा आंशिक रूप में समाप्त कर सकता है

(क) यदि पूर्तिकार संविदा में विनिर्दिष्ट समय अवधि (यों) के भीतर, अथवा दूरसंचार विभाग द्वारा बढ़ाई गई अवधि के भीतर सेवाएं प्रदान करने में असफल रहा हो ;

(ख) यदि पूर्तिकार इस संविदा के तहत किन्ही अन्य दायित्वों का निष्पादन करने में असफल रहा हो ; और

(ग) यदि पूर्तिकार, दूरसंचार विभाग से चूक का नोटिस प्राप्त होने के बाद 30 दिनों की अवधि (अथवा दूरसंचार विभाग द्वारा लिखित रुप में यथा प्राधिकृत अधिक अवधि) के भीतर, उपर्युक्त किसी भी परिस्थिति में अपनी असफलता का सुधार नहीं करता है।

12.2 दूरसंचार विभाग द्वारा पैरा 10.1 के अनुसार संविदा को पूर्ण रूप में अथवा आंशिक रुप में समाप्त किए जाने की स्थिति में क्रेता सुपुर्दगी नहीं किए गए सामान के समान किस्म का सामान ऐसी शर्तों और ऐसे तरीके से प्राप्त कर सकता है जैसा वह उचित समझे और पूर्तिकार दूरसंचार विभाग के लिए ऐसे समान किस्म के सामान की खरीद में लगने वाली किसी अतिरिक्त लागत के लिए उत्तरदायी होगा। तथापि, पूर्तिकार संविदा की उस सीमा तक अपना निष्पादन करना भागी रखेगा जिसे समाप्त नहीं किया गया है।

13. दिवालियापन के लिए समापन :

यदि पूर्तिकार दिवालिया हो जाए अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया जाए तो दूरसंचार विभाग पूर्तिकार को कोई क्षतिपूर्ति किए बिना पूर्तिकार को लिखित रूप में नोटिस देकर किसी भी समय संविदा को समाप्त कर सकता है बशर्ते कि इस प्रकार के समापन से दूरसंचार विभाग की किसी कार्रवाई अथवा उपाय करने के अधिकार, जो उसके बाद उसे मिल गया है अथवा मिलेगा, के लिए पूर्वाग्रह नहीं होगा अथवा उसे प्रभावित नहीं करेगा।

14. मध्यस्थता

14.1 इस करार या इसके संबंध में (ऐसे मामले को छोड़कर जिसका निर्णय इस करार के अंतर्गत विशेष रूप से प्रदत्त किया गया है) कोई प्रश्न, विवाद या मतांतर उत्पन्न होने की स्थिति में मामले को भारत के राष्ट्रपति के एकमात्र माध्यस्थम के लिए भेज दिया जाएगा या यदि उनका पदनाम परिवर्तित हो जाता है या उनका पद समाप्त कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में इस मामले को उस समय उस अधिकारी के एकमात्र माध्यस्थम के लिए भेज दिया जाएगा जिन्हें अपने कर्तव्यों के

अतिरिक्त भारत के राष्ट्रपति या ऐसे अधिकारी को जो भी पदनाम दिया गया हो, के कार्य सौंपे गए हों (जिन्हें इसके बाद उक्त अधिकारी के नाम से जाना जाएगा) और यदि भारत के राष्ट्रपति, या उक्त अधिकारी इस संबंध में कार्य करने में योग्य न हों या अनिच्छुक हों तो ऐसी स्थिति में पूर्ण माध्यस्थम भारत के राष्ट्रपति या उक्त अधिकारी द्वारा नियुक्त व्यक्ति के लिए भेजा जाएगा। मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए करार माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार किया जाएगा। ऐसी किसी नियुक्ति पर इस आधार पर कोई आपत्ति नहीं होगी कि मध्यस्थ दूरसंचार विभाग का कर्मचारी है अथवा यह कि उसे उस मामले का निपटान करना है जो करार से संबंधित है अथवा यह कि दूरसंचार विभाग के कर्मचारी के रूप में अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए उसने सभी अथवा किसी विवादास्पद मामले में अपने विचार व्यक्त किए हैं। मध्यस्थ का अधिनिर्णय अंतिम और पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा। ऐसे माध्यस्थम, जिसे मूल तौर पर मामला भेजा गया है, का स्थानांतरण हो जाने पर अथवा उसके द्वारा पद खाली किए जाने अथवा किन्हीं अन्य कारणों से कार्य कर पाने में असमर्थ होने पर, दूरसंचार विभाग अथवा उक्त अधिकारी माध्यस्थ के रुप में कार्य करने के लिए करार के निबंधनों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करेगा और इस प्रकार नियुक्त किया गया व्यक्ति उस स्तर से कार्य शुरु करने का हकदार होगा जिस पर उसके पूर्ववर्ती अधिकारियों द्वारा कार्य को छोड़ा गया था।

14.2 माध्यस्थ अधिनिर्णय करने और उसका प्रकाशन करने के लिए पक्षकारों की सहमति से समय-समय पर समयावधि बढा सकता है। पूर्वोक्त माध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अध्यधीन, उसमें अस्थायी रुप से लागू किया गया कोई संशोधन इस खंड के तहत माध्यस्थम की कार्रवाई हेतु लागू माना जाएगा।

14.3 माध्यस्थम की कार्रवाई का स्थान नई दिल्ली स्थित भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय होगा अथवा माध्यस्थम के निर्णय के अनुसार निर्धारित कोई अन्य स्थान होगा।

15. मुआवजा

इस संविदा के तहत संविदाकार को देय और भुगतान की जाने वाली कोई राशि (उसे लौटाई जाने वाली प्रतिभूति जमा सहित) दूरसंचार विभाग अथवा दूरसंचार विभाग के माध्यम से संविदा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति (यों) द्वारा विनियोजित की जाए और पूर्तिकार द्वारा दूरसंचार विभाग और ऐसे अन्य व्यक्ति (यों), जिसने दूरसंचार विभाग के माध्यम से संविदा की है, से की गई इस संविदा के तहत अथवा किसी अन्य संविदा के तहत देय होने वाली किसी अन्य राशि के भुगतान हेतु दूरसंचार विभाग अथवा ऐसे अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के किसी दावे के लिए उसका निपटान कर दिया जाए।

भाग-IV
अपेक्षाओं की अनुसूची

1. यह अपेक्षाओं की अनुसूची भाग-II में यथा-अंतर्विष्ट "बोलीदाताओं के लिए अनुदेश " और खंड-III में यथा-अंतर्विष्ट "संविदा की सामान्य (वाणिज्यिक) शर्तों की अनुपूरक होगी और जहां कहीं भी परस्पर कोई विरोध हो भाग-II और III में दिए गए उपबंधों के मुकाबले इस अनूसूची में दिए गए उपबंध लागू होंगे।

2. यदि बोलियां खोलने के लिए निर्धारित की गई तारीख, बाद में, दूरसंचार विभाग द्वारा अवकाश दिवस घोषित की जाए तो संशोधित अनुसूची अधिसूचित की जाएगी। तथापि, ऐसी अधिसूचना न किए जाने पर, बोलियां अगले कार्य दिवस में खोली जाएंगी, समय और स्थान अपरिवर्तित रहेंगे।

3. यह करार मूलतः एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा, जोकि, चालू करार की समाप्ति से पूर्व लिखित सूचना देकर, उन्हीं नियमों और शर्तों पर एक वर्ष की अवधि तक के लिए आगे विस्तारणीय होगा, यदि दूरसंचार विभाग द्वारा ऐसा करने संबंधी निर्णय लिया गया हो।

4. दूरसंचार विभाग के पास ऐसे बोलीदाताओं को अयोग्य ठहराने का अधिकार सुरक्षित है जिनका पूर्वकालीन दूरसंचार विभाग के साथ की गई संविदाओं में संविदा संबंधी दायित्वों को पूरा न करने का रिकार्ड है। दूरसंचार विभाग के पास ऐसे किसी बोलीदाता को समुचित अवधि के लिए काली सूची में डालने का अधिकार भी सुरक्षित है, जो पर्याप्त कारण बताए बिना अपनी बोली संबंधी दायित्वों को पूरा करने में असफल रहता है।

5. दूरसंचार विभाग के पास किसी अन्य बोलीदाता द्वारा उद्धृत दरों के मुकाबले दरें प्रस्तावित करने का अधिकार सुरक्षित है।

6. आपूर्तिकर्ता की जांच/मरम्मत सुविधाएं दिल्ली में ही होनी चाहिए। दिल्ली में उपलब्ध सुविधाओं का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करना होगा। विक्रेता के पास प्रयाप्त विशेषज्ञता/संसाधन होने चाहिए और विक्रेता को इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध अवसंरचना और विशेषज्ञता/संसाधनों के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। दूरसंचार विभाग विक्रेता की अवसरंचना और कर्मचारियों का मौके पर जाकर सत्यापन कर सकता है।

7. बोलियों का मूल्यांकन एसएमएफ बैटरियों के लिए बोलियां वापस खरीद योजना के आधार पर बोलीदाता द्वारा मूल्य तालिका में दिए गए मूल्यों कें अनुसार किया जाएगा।

8. प्रत्येक मद के सामने एक ही दर उद्धृत की जानी चाहिए। किसी एक मद के आगे एक से अधिक दरें उद्धृत करना निविदा के उपबंधों का उल्लंघन करने के समान होगा और उस बोली को अस्वीकार किया जाएगा।

9. यदि आवश्यक हो तो, भावी बोलीदाता को सत्यापन के लिए दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों को अपने व्यय पर उन स्थलों के निरीक्षण के लिए ले जाना होगा जहां उन्होंने पहले बैटरियों की आपूर्ति की हो।

(लक्ष्मी)
सहायक महानिदेशक(आईटी-।।।)

भाग-V
आपूर्ति की जाने वाली मद (मदों) की सूची

एसएमएफ बैटरियां

क्र0सं0	मेक	प्रकार	मात्रा
1.	आर्चिड/पैनासोनिक हिटाची/एक्साइड	एसएमएफ 12 वी 7.2 एएच	500

अनुबंध-I

भाग-I

संविदा प्रपत्र

1. यह करार आज दिनांक .... को .... एतद्पश्चात जिसे "कंपनी का नाम " कहा गया है, प्रथम पक्ष, जिस अभिव्यक्ति में उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक और प्रशासक/उसके उत्तराधिकारी शामिल होंगे और सहायक महानिदेशक(आईटी-।I) दूरसंचार विभाग के माध्यम से दूरसंचार विभाग(मुख्यालय) एतद्पश्चात जिसे "डीओटी " कहा गया है, द्वितीय पक्ष, एतद्पश्चात उनके उत्तराधिकारी और प्रतिनिधि शामिल हैं, के बीच निम्नानुसार किया जाता है :-

2. जबकि प्रथम पक्ष दूरसंचार विभाग(मुख्यालय) नई दिल्ली में "वापस खरीद योजना के आधार पर 12 वी. 7.2 एएच की 500 बैटरियों की आपूर्ति " के रूप में वर्णित कार्य का, जिसके ब्योरे इस कार्यालय की दिनांक .... की निविदा आमंत्रण सूचना (एनआइटी) .... में दिए गए हैं, उनके दिनांक .... की निविदा ....के तहत उद्धृत की गई दरों पर और दिनांक की निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) जो इस कारार का अभिन्न अंग होगा, में दिए गए नियमों और शर्तों के अनुसार, कार्यान्वयन करेगा।

3. यह कि प्रथम पक्ष अपने पूर्व-प्राप्त (रसीद) (प्री-रिसीटेड) डुप्लिकेट बिलों के साथ अपने दावे के पक्ष निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा :-

(i) बीजक
(ii) वितरण चालान/विधिवत पूर्व प्राप्त (रसीद) किए गए बिल डुप्लिकेट में
(iii) प्रेषण के संबंध में आपूर्तिकर्ता का प्रमाण पत्र
(iv) उत्पाद (शुल्क/विभाग) का गेट पास/बीजक या समकक्ष दस्तावेज, विनिर्माणकर्ता के मामले में।
(v) प्राप्त (सामग्री) कर्ता की रसीद।
(vi) चुंगी/प्रवेश कर इत्यादि के साक्ष्य, यदि कोई हों।

उपर्युक्त के अनुसार प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए हुए।

4. कि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को खंड 6.1 या बोली दस्तावेज के भाग-III में विनिर्दिष्ट भुगतान संबंधी शर्तों के अनुसार आपूर्ति की गई बैटरियों की संख्या के आधार पर यथानुपात आधारित .... रु0 की राशि का भुगतान करेगा।

5. एनआईटी के अनुसार यह करार .... से एक वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। जैसा कि बोली दस्तावेज के भाग-II के खंड 1(i) में, समान नियमों, शर्तों तथा दर पर द्वितीय पक्ष द्वारा किया जाना तय हुआ है।

.... 2008 के .... दिन को उपर्युक्त पक्षों ने अपने हस्ताक्षर बतौर साक्षी किए।

साक्षी — आपूर्तिकर्ता हेतु
साक्षी — दूरसंचार विभाग हेतु

अनुबंध-II

बोली प्रपत्र

निविदा सं0 दिनांक ....

(क्रेता का नाम और पता)

महोदय,

अनुशेष संख्या .... सहित, संविदा की शर्तों और विनिर्देशनों की जांच के बाद जिसकी एतद्द्वारा विधिवत प्राप्ति दी जाती है, हम, अधोहस्ताक्षरी उक्त रेखाचित्रों, संविदा की शर्तों और विनिर्दिष्टियों के अनुरूप राशि (शब्दों और अंको में कुल बोली राशि) अथवा इसके साथ संलग्न मूल्य अनुसूची, जिसे बोली का भाग माना गया हो, के अनुसार अभिनिश्चित ऐसी अन्य राशियों के अनुरूप .... की आपूर्ति और सुपुर्दगी की पेशकश करते हैं।

हम, यदि हमारी बोली स्वीकृत होती है, आपके कार्य आदेश के जारी होने की तारीख से ( ) माह के अंदर सुपुर्दगी शुरू करने और करार में विर्निदिष्ट सभी मदों की सुपुर्दगी ( ) माह के अंदर पूरा करने का वचन देते हैं।

यदि हमारी बोली स्वीकृत होती है तो हम संविदा के समुचित निष्पादन के लिए किसी अनुसूचित बैंक से करार राशि के अधिकतम 10% राशि की प्रतिभूतियां प्राप्त कर लेंगे।

हम, बोली खोले जाने की निर्धारित तारीख से 150 दिन की अवधि के लिए इस बोली का पालन करने के लिए सहमति देते हैं और यह हम पर बाध्यकारी होगी तथा उक्त अवधि के समाप्त होने से पहले कभी भी इसे स्वीकार किया जा सकता है।

जब तक संविदा का औपचारिक क्रय आदेश तैयार और निष्पादित होता है आपकी अधिसूचना में आपकी लिखित स्वीकृति सहित यह बोली हमारे बीच एक बाध्यकारी करार होगी।

हमारे द्वारा प्रस्तुत बोली सही ढंग से सीलबंद और तैयार की गई है ताकि बाद में इसमें किसी संशोधन और फेर-बदल को रोका जा सके।

हम मानते हैं कि आप सबसे कम अथवा किसी भी प्राप्त बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

दिनांक .... दिन .... , वर्ष 2008

.... की हैसियत से हस्ताक्षर

.... की ओर से बोली पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत प्राधिकृत

साक्षी .... टेलीफोन नं0

हस्ताक्षर .... फैक्स नं0

पता .... ई-मेल पता

अनुबंध-III

निष्पादन प्रतिभूति बंध-पत्र

भारत के राष्ट्रपति (इसके बाद "सरकार " कहा जाएगा) की सहमति से, ...(इसके बाद कथित करार कहा जाएगा) की आपूर्ति के लिए ....और ....के बीच दिनांक.................को हुए करार/(कार्य आदेश) सं0 ....के निबंधन व शर्तों के तहत, कथित करार में निहित निबंधन व शर्तों का कथित संविदाकार(रों) द्वारा सम्यक अनुपालन करने के लिए निष्पादन प्रतिभूति की मांग से ....(कथित संविदाकार कहा जाएगा) को निर्मुक्त करने पर, ...के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर हम (बैंक का नाम) ....(इसके बाद बैंक कहा जाएगा) ....संविदाकार(रों) के अनुरोध पर सरकार को धनराशि जो ....से अधिक न हो, देने का वचन देते हैं, यह राशि कथित करार में निहित निबंधन व शर्तों के कथित संविदाकारों द्वारा किसी भी प्रकार के उल्लंघन के कारण सरकार को हुई या इसके द्वारा वहन की गई किसी भी प्रकार की हानि या क्षति या इसके कारण होने वाली हानि या क्षति के एवज़ में होगी।

2. हम (बैंक का नाम) ....बिना किसी आपत्ति के इस गारंटी के तहत देय और बकाया राशि को अदा करने का वचन देते हैं, केवल सरकार की इस मांग पर कि जिस राशि का दावा किया गया है वह कथित करार के निष्पादन में संविदाकारों की विफलता के कारण सरकार को हुई हानि अथवा क्षति अथवा इसके होने वाली अथवा इसके द्वारा वहन की गई हानि के रूप में देय है। बैंक पर की गई ऐसी कोई भी मांग इस गारंटी के तहत बैंक द्वारा देय और बकाया राशि के अनुसार निश्चित होगी जहां इन मामलों में सरकार का निर्णय अंतिम होगा और बैंक पर बाध्यकारी होगा। तथापि इस गारंटी के तहत हमारी देनदारी ....राशि से बढ़कर नहीं होगी।

3. हम सरकार को किसी भी मांगी गई राशि का भुगतान किसी मुकद्दमें में संविदाकार(रों)/वार्षिक रख-रखाव संविदा विक्रेता(ओं) द्वारा उठाए गए किसी भी वाद अथवा किसी न्यायालय या इससे संबंधित अधिकरण के सामने लंबित कार्यवाही के बावजूद करने के लिए वचनबद्ध हैं तथा हमारी देनदारी इस लेख-पत्र के तहत बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। इस बंध-पत्र के तहत हमारे द्वारा किया गया यह भुगतान इसके तहत भुगतान की हमारी देनदारी के लिए मान्य निर्मुक्ति-पत्र होगा और संविदाकार(रों)/वार्षिक रख-रखाव संविदा विक्रेता(ओं) का इस भुगतान पर हमारे विरुद्ध का कोई दावा नहीं होगा।

4. हम (बैंक का नाम).............आगे सहमत हैं कि इसमें निहित गारंटी उक्त करार के निष्पादन को पूर्ण करने की अवधि के लिए प्रभावी रहेगी और यह कि यह गारंटी तब तक प्रभावी बनी रहेगी जब तक कि सरकार की सभी बकाया देय राशियों का कथित करार के माध्यम से या तहत भुगतान न कर दिया गया हो और जब तक इसके दावों का समाधान या निर्वहन नहीं हो गया हो अथवा जब तक..................(कार्यालय/विभाग)...........मंत्रालय यह प्रमाणित नहीं करता कि कथित करार की निबंधन एवं शर्तों का निर्वहन कथित संविदाकारों द्वारा पूर्णतः और उचित ढंग से किया गया है और वे तदनुसार इस गारंटी का निर्वहन करते हैं। जब तक हम से इस गारंटी के

अंतर्गत इस तारीख से एक वर्ष और छह माह के बीत जाने से पहले मांग अथवा दावा नहीं किया जाता, हम इसके पश्चात इस गारंटी के अंतर्गत सभी देनदारियों से मुक्त होंगे।

5. हम (बैंक का नाम).............आगे सरकार से सहमत हैं कि सरकार को बिना हमारी सहमति के और इसके तहत हमारे दायित्वों को किसी भी तरीके से प्रभावित किए बिना कथित करार की निबंधन व शर्तो को बदलने अथवा समय-समय पर उक्त संविदा के निष्पादन के समय को बढ़ाने अथवा सरकार द्वारा संविदाओं के विरूद्ध प्रयोग की जाने वाली शक्तियों को किसी भी समय या समय-समय पर स्थगित करने और कथित करार से संबंधित निबंधन व शर्तों को नकारने या लागू करने की पूर्ण स्वतंत्रता है और हम ऐसे किसी बदलाव, या कथित (संविदाओं) को विस्तार देने या सरकार की ओर से किसी भी स्थगन, कार्य या भूल के कारण या कथित (संविदाओं) को सरकार द्वारा दिए दंडमोचन या ऐसे किसी मामले या वस्तु जो भी हो के कारण अपनी देनदारी से निर्मुक्त नहीं होंगे जिस पर जमानत संबधी कानून के तहत, इस उपबंध के कारण, हमें इस प्रकार निर्मुक्त करने का प्रभाव होगा।

6. यह गारंटी बैंक या संविदाकार(रों)/ वार्षिक रख-रखाव संविदा विक्रेता(ओं) के संघटन में परिवर्तन के कारण समाप्त नहीं होगी।

निविदा सं0 6-1/2008- आईटी

7. हम (बैंक का नाम) ....अंततः इस गारंटी को इसके प्रचलन के दौरान न तोड़ने का वचन देते हैं बशर्ते कि लिखित में सरकार की पहले से सहमति न ले ली गई हो।

......................दिनांक का ....दिन

कृते......................

गवाह

1.

(बैंक का नाम लिखें)

2.

दूरभाष :

एसटीडी कोड :

अनुबंध - IV

बोली खोले जाने के समय उपस्थित होने के लिए प्राधिकार पत्र

विषय :- ....की निविदा में दिनांक.................को बोली खोले जाने के समय उपस्थिति के लिए प्राधिकार ।

निम्नलिखित व्यक्तियों को नीचे दिए गए वरीयता क्रम में...........................(बोली लगाने वाले) की तरफ से उपर्युक्त निविदा के लिए बोली खोले जाने के समय उपस्थित होने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है :-

वरीयता क्रम	नाम	नमूना हस्ताक्षर

I

II

वैकल्पिक प्रतिनिधि

बोलीदाता के हस्ताक्षर

अथवा

बोलीदाता की तरफ से बोली

दस्तावेज पर हस्ताक्षर के लिए प्राधिकृत अधिकारी

टिप्पणी : 1. बोली खोले जाने के समय उपस्थिति हेतु अधिकतम दो प्रतिनिधियों को अनुमति प्रदान की जाएगी। अगर केवल एक ही प्रतिनिधि को अनुमति दी जाती है तो प्रथम वरीयता क्रम को अनुमति दी जायेगी। जब नियमित प्रतिनिधि उपस्थित होने में असमर्थ रहते हैं तो वैकल्पिक प्रतिनिधि को अनुमति दी जाएगी।

2. अगर उपरोक्त निर्धारित प्राधिकार पत्र नहीं दिखाया जाता है, तो जिस हॉल में बोली खोली जानी है, उसमें प्रविष्टि की अनुमति नही दी जाएगी।

अनुबंध-V

मूल्य अनुसूची

भाग-I

(क) कंप्यूटर

(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)
क्र0सं0	मेक	टाइप	मात्रा	नई बैटरी की प्रति यूनिट दर (रु0)	पुरानी बैटरी के लिए प्रति यूनिट **(बाई बैक)** दर (रु0)	कुल निवल मूल्य (रु0) **{500x(ङ-छ)}**
1.	आर्किड/पैनासोनिक/हितैची/ईक्साइड	एसएमएफ 12 वी 7.2 एएच	500			

अनुबंध-VI

तकनीकी बोली के लिए प्रस्तुत की जाने वाली जांच सूची एवं दस्तावेजों का क्रम

कृपया जांच कर लें कि निविदा के भाग-I में भाग लेने के लिए (नई दिल्ली में दूरसंचार विभाग मुख्यालय के लिए यूपीएस प्रणालियों की बाईबैक (बीबी) स्कीम के अधीन 500 एसएमएफ बैटरियों की आपूर्ति) नीचे उल्लिखित सभी दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये गये हैं। दस्तावेजों को घटते क्रम में प्रस्तुत किया जाना है जिसमें मद सं0 1 सबसे ऊपर होगा। कृपया तकनीकी बोली के लिए दिये जाने वाले दस्तावेजों के पृष्ठ संख्या का भी उल्लेख करे।

क्र0सं0	दस्तावेज	पृष्ठ सं0
1	बोली खोले जाने के समय उपस्थित रहने हेतु प्राधिकार पत्र	
2	बैंक ड्राफ्ट के रूप में 7000/- रु0 की बोली प्रतिभूति	
3	पावर ऑफ अटार्नी	
4	खंडशः अनुपालन के रूप में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा 1 से 29 तक सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर किए जाएं और मुहर लगाई जाए।	
5	आईएसओ प्रमाण-पत्र के रूप में तकनीकी और निष्पादन क्षमता का दस्तावेजी सबूत	
6.	पिछले 2 वर्षों में बिक्री व्यवस्साय से 1 करोड़ से अधिक के वार्षिक कारोबार के बारे में सीए से प्रमाण-पत्र	
7.	आयकर बेबाकी प्रमाण-पत्र/पेन सहित आयकर विवरणी	
8.	संस्थापन प्रमाण-पत्र/फर्म पंजीकरण प्रमाण-पत्र जैसा भी मामला हो	
9.	संगम ज्ञापन दस्तावेज/मालिकाना पंजीकरण प्रमाण-पत्र जैसा भी मामला हो	
10.	पैनासोनिक/हितैची/आर्किड/इक्साइड इत्यादि जैसी किसी बैटरी की कंपनी की विनिर्माणकारी प्रसुविधा/प्राधिकृत बिक्री भागीदार का प्रमाण-पत्र	
11.	केंद्र सरकार के विभागों/मंत्रालयों/सरकारी उपक्रमों में से किसी एक में दो वर्षों से अधिक का 500 बैटरियों की आपूर्ति का अनुभव	
12.	कोई अन्य दस्तावेज (कृपया उल्लेख करें)	

बोलीदाता को निम्नलिखित सुनिश्चित करना है

क. कि प्राधिकृत व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा सभी पृष्ठों पर मुहर लगाई गई है और हस्ताक्षर किए गए हैं।

ख. कि सभी पृष्ठों पर क्रम संख्या अंकित की गई है।

ग. कि सभी दस्तावेज पठनीय हैं (स्पष्टतः पढ़ने योग्य हैं)

अनुबंध - VII

(ii) सूची तथा क्रम जिसके अनुसार दस्तावेज वित्तीय बोली के लिए प्रस्तुत किए जाने हैं :

क्र0सं0	दस्तावेज	पृष्ठ सं0
1	अनुबंध-II के अनुसार बोली फॉर्म	
2	अनुबंध-V के अनुसार मूल्य अनुसूची	